न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—97 / 2022

सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया पंजीकृत कार्यालय 9th फ्लोर, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई, महाराष्ट्र—400021 एवं क्षेत्रीय कार्यालय— प्रथम तल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर— 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अनिल कुमार जिंदल

——— प्रार्थी बैंक

बनाम

मैसर्स जय दुर्गा टाईल्स एण्ड मार्बल, बजरिये प्रोप्राईटर श्री गजराज सिंह शेखावत पुत्र श्री भैरू सिंह शेखावत पता— ग्राम व पोस्ट गुढा गौढजी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनू। 333053

——— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभुति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

———

उपस्थितः—

1. एडवोकट श्री योगेन्द्र सिंहः— प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.04.2022

प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी को बैक द्वारा जरिये खाता संख्या 3937921834 को ऋण रूपये 4,50,000/— (अक्षरे चार लाख पचास हजार रूपये), खाता संख्या 4062417285 में ऋण रूपये 25,658/— (अक्षरे पच्चीस हजार छः सौ अठावन रूपये) , खाता संख्या 3789686523 में ऋण रूपये 67,968/— (अक्षरे सडसठ हजार नौ सौ अडसठ रूपये) एवं खाता संख्या 3777436485 में ऋण रूपये 17,068/— (अक्षरे सत्रह हजार अडसठ रूपयें) इस प्रकार कुल ऋण रूपये 5,60,694/— (अक्षरे पांच लाख साठ हजार छः सौ चौरानवे रूपये) का ऋण स्वीकृत किया एवं वितरित किया। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी निम्न अचल सम्पति को प्रार्थी के पास साम्यिक रहन किया और उस सम्पति पर निर्मित मका[illegible]कृत किया जिसका विवरण नीचे वर्णित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 11:15:40 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] सम्पति का वि[illegible]

श्री गजराज सिंह पुत्र श्री भैरू सिंह के स्वामित्व में आवासीय [illegible] जो कि ग्राम गुढा [illegible], तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुझुनू (राजस्थान) पर स्थित है। [illegible] भवन एवं ढाचा आदि [illegible] सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 2625.00 वर्गफुट है।

चारो दिशाएः—

पूर्व में — आम रास्ता

पश्चिम में — आम रास्ता

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

उत्तर में – नाला पहाड से आता है।
दक्षिण में – भैरू सिंह की गली
अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भूगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर को अप्रार्थी के दिनांक 31.03.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। अप्रार्थी के खाता संख्या 3937921834 के बकाया रूपये 4,79,360/– (अक्षरे चार लाख उनासी हजार तीन सौ साठ रूपये) खाता संख्या 4062417285 में बकाया रूपये 26,564/– (अक्षरे छब्बीस हजार पांच सौ चौसठ रूपये) खाता संख्या 3789686523 में बकाया रूपये 22,518/– (अक्षरे बाईस हजार पांच सौ अठारह रूपये), एवं खाता संख्या 3777436485 में बकाया रूपये 17,927/– (अक्षरे सत्रह हजार नौ सौ सत्ताईस रूपये) इस प्रकार कुल बकाया रूपये 5,46,369/– (अक्षरे पांच लाख छियालीस हजार तीन सौ उनहत्तर रूपये मात्र) दिनांक 23.04.2021 तक व जिसमें दिनांक 22.04.2021 तक का ब्याज सम्मिलित है व से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 23.04.2021 को अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किया गया। जिसके बाद भी उन्होने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया को नही दिया। अप्रार्थी ने देय ऋण राशि का भूगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया को नही किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया उक्त वर्णित सिक्योरीटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने के अधिकारी है। उक्त चरण सं0 2 में वर्णित सिक्युरिटी रहनशुदा सम्पति को ताले लगे होने की स्थिति पर सम्पति पर लगे तालो को तोडा जाकर कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर देय राशि वसूल करने का आदेश फरमाए जाने की प्रार्थना श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित सम्पति जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की संख्या 2 में दिया गया है, का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करे जो झुंझुनूं जिले में स्थित है व आपके अधिकार क्षेत्र में आती है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 11:15:40 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि

को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अप्रार्थी गजराज सिंह पुत्र भैरू सिंह के मालिकाना हक की अचल संपत्ति आवासीय सम्पति जो कि ग्राम गुढा पोस्ट पौंख, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुझुनू (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भवन एवं ढाचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 2625.00 वर्गफुट स्थित भूमि व निर्मित सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 27.04.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 11:15:40 IST
Reason: SelfAttested